way the new rules are going to solve the problems of testing being faced by the people in the villages and other towns who need blood in case of an emergency.

I will now come back to the testing laboratories. The capacity of a laboratory is absolutely inadequate compared to the requirements of the area We have made the facilities available for testing which are known as Elisa But these tests are not fooltests proof or correct tests. Many times, these tests give different results. If somebody is found HIV-positive at the first test, a second sample must be taken for further investigation. τīnfortunately, this practice is not being adopted.

Therefore, through you, Madam, I request the hon. Health Minister to make a statement on this issue and t_0 assure the House that he will withdraw the circular, which is a dangerous one because if it is not informed to the person who is found HIV-positive, he may create problems for others.

Thank you, Madam.

GOVERNMENT MOTION

On the twenty-leighth and twenty-ninth reports of the former Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Fifth, Sixth, Seventh and Eighth reports of the National Commission for Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (Cont'd)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now continue the discussion on the SC/ ST Reports

मीणा जी, अब आप अपने भाषण को कनक्ल्ड कर दीजिये तो में मंती जी से कहूं कि वह जवाब दें Every body is awaiting Ministers' reply. तो जो लोग हैं नहीं, उनको ग्राप छोड़िए। मेरे कहने का मकसद यह था कि इस पर ग्राप बोमें, मौर भी लोग बोलें, कटारिया जी कुछ बोलना चाहें तो बोलें मगर सवाल यह है कि मत्नी जी जो बोलेंगे, वह ज्यादा जरुरी है क्योंकि ग्राप सब लोग तो एक ही बात कहेंगे ।

भी मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, यह शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का सौभाग्य है कि इतना टाइम मिला है।

उपसमापति । इसीलिए मंत्री जीक्या ग्रापके सवालों का जवाब दें श्रौर क्या प्रोपोज़ल्स दें, मुझे लगता है कि वह जरूरी है इसलिए श्राप संक्षेप में श्रपना भाषण कनक्लड कीजिए ।

श्री मूलचन्द मीणा : मैडम, कल मैं यह कह रहा था कि शैडयुल्ड कास्टस ग्रौर गैडयुल्ड ट्राइब्स के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधों की भावनाओं के भ्रनसार बाबा साहब भीमराव ग्रम्बेडकर ने संविधान के ग्रन्दर व्यवस्था की है । नेहरू जी ने जो ग्रर्थव्यवस्था की, उसको मिश्रित ग्रर्थव्यवस्था बनाया और अर्थव्यवस्था को मिक्स किया जिससे गरीब तब्के के लोगों को उसका लाभ मिल सके । मैं कह रहा था कि इंदिरा जी ने शैड्यूल्ड कास्ट्स स्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। इसके माध्यम से दलित ग्रौर पिछडे वर्ग के लोगों को लाभ मिल सका ग्रौर उनका विकास हो सका । इस 20 सूती कार्यक्रम के माध्यम से शैड्युल्ड कास्टेस शैड्युल्ड टाइब्स के लोगों को जमीनें भी मिलीं, बजर भुमि का अलॉटमेंट भी शैडयुल्ड कास्टस स्रौर ग्रैंडयुल्ड ट्राइब्स के नाम हुग्रा। साथ ही इंदिरा जी ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले वर्गों के लिए भी बकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे इन वर्गों के लोगों को बैंकों से ऋण लेने में सुविधाएं मिलीं। हम यह कह सकते हैं कि इस कार्यंक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी ने शैडयूल्ड कास्ट्स ग्रौर शैडयूल्ड टाइब्स के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ लागू किया । स्राज की जो सरकार है, उसने जो कार्यं कम दिये हैं शैडयल्ड कास्टस ग्रौर शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए, इनको हम नकार नहीं सकते । कहने के लिए यह कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्ट और गैडयुल्ड टाइब्स के लिए कुछ किया नहीं

Motion 350

है। मैं यह कहता हूं कि ग्रैड्यूल्ड कास्ट और णैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं हुय्रा है। फिर भी कुछ किया है कांग्रेस की सरकार ने। ऐसा नहीं है कि हम यह कह सकें कि सरकार ने कुछ किया नहीं। जो भी कार्यक्रम या कानून इस देश के घंदर ग्रैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हित के लिए बनाते रहे उनका इप्लीमेंटेशन सही प्रकार से नहीं हो पाया। इसलिए उन के विकास की जो गति थी वह धीमी रही।

महोदया, इस प्रतिवेदन के बारे में मंत्री जी काध्यान ग्राकर्षित करना चाहंगा कि ग्रारक्षण का जहां तक सवाल है, संविधान के ग्रनसार ग्रारक्षण की व्यवस्था को गई है।लेकिन 47 साल गुजरने के बाद भी इस ग्रारक्षण का लाभ यदि हम देखें तो वह 4 प्रतिशत बैठता है जो कि नगण्य है । उसको पूरा किया ही नहीं गया। ग्रारक्षण की स्थिति हम देखें तो सरकारी जो विभाग हैं उन में यह स्थिति है। पब्लिक सेक्टर मैं ग्रारक्षण की व्यवस्था हैंही नहीं। इसलिए मैं चाहता हं कि पब्लिक सेक्टर में भी ग्रारक्षण की व्यवस्था हो। इसके साथ ही जो भी हमारे गैर सरकारी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उन के म्रंदर भी शैडयल्ड कास्ट स्रौर शैडयल्ड टाइब्ज के लोगों के लिए ग्रारक्षण की व्यवस्था हो ।

मतोदय, राज्य सभा ग्रौर विधान परिषदें ऐसे सदन हैं लेकिन जब लोक सभा ग्रीर विधान सभाग्रों के ग्रंदर ग्रारक्षण है तो 🕶 दोनों सदनों के ग्रंदर भी ग्रारक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए ? महिलाग्रों का भी ग्रारक्षण हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन में शैडयूल्ड कास्ट ग्रौर ग्रौड्युल्ड ट्राइब्ज के बारे में बोल रहा हं। म्रारक्षण के प्रश्न को पूरा करने के सिए समय-बद्ध कार्यन्नम देना चाहिए जिस से कि जो बैंक लॉग हैं वह पूरा हो सके ग्रौर इस कार्यक्रम में यदि कोई भी ग्रधिकारी, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो. रोडे ग्रटकाता है, वह ग्रारक्षण के बैक लॉग को पूरा नहीं करता है तो उस के खिलाफ सख्त कार्यवही होनी चाहिए।

महोदया, आज आरक्षण के साथ साथ यह समस्या पैदा हो गई है कि जो ग्रारक्षण थोड़ा बहुत मिला हुन्रा है पहले पदोन्नति के म्रंदर वह लागँथा । लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कई विभागों ने चाहे वह निर्णय शैड्युल्ड कास्ट स्रौर शैडयुल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर लागु नहीं होता था, लेकिन फिर भी केन्द्र के कई विभागों में ग्रारक्षण के इस पदोन्नति के कार्यक्रम को लागुकर दिया। इस ग्रारक्षण के बारे में सदन में समाज कल्याण मंती जी ने भी ग्रवगत कराया लेकिन दूर्भाग्य है कि शैड्य ल्ड कास्ट ग्रौर शैड्युल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए भी इसे लागू किया जा रहा है ग्रौर उनकी पदोन्नति पर रोक लगाई जा रही है। जब हमारे मंत्री जी सरकार में बैठे हुए हैं तो तमाम विभागों के कर्मचारियों ग्रौर ग्रधिकारियों को क्यों नहीं इस प्रकार की शिकायत ले ०र उनके खिलाफ कार्यवाही करते जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कि पिछडे वर्गों के लिए लागू हो सकता है, शैड्यू ल्ड कास्ट का उस में नाम नहीं है, उन पर लागु कराने से रोकते । सरकार में बैठे हए ग्रैड्युल्ड कास्ट ग्रौर ग्रैड्युल्ड ट्राइब्ज के लिए कानून बना रहे हैं तो उस कानून का क्या फायदा ग्रगर उन को उस का लाभ नहीं मिलता । कोरे कागज के ग्रांदर लिख गए कानुनों से उन को कोई फायदा होने वाला नहीं है जो सरकार के आंकडों से सिद्ध है। आज जब हम देखते हैं डाक्टरों की स्थिति एस सी, एस टी के लोगों में से कितने डाक्टर बने हैं, कितने लोग वैज्ञानिक बने हैं, कितने लोग हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बने हैं तो एक-दो ही हमें मिलेंगे । ग्रफसोस है कि 47 साल की ग्राजादी के बाद भी हमारे पास जब कि कानन भी रहे, सरकार भी हमारी रही फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाये । जो लोग इस काम को देखते हैं यदि हम उनसे सख्ती से काम लेते तो यह ग्रारक्षण पूरा हो सकता था। मैं यह जानना चाहता हं कि इस आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्ग के कुछ लोगों ने एस० सी०/एस० टी० का फर्जी सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार की शिकायतें आपके

ग्रायोग को ग्रौर ग्रापके विभाग को मिलती रही हैं...(समय की घंटी) ग्राभी तो मैंने शुरू किया है ।

उपसभापति: There are other members also. ग्रांस कुछ सिनट पहले बोल चुके हैं और ग्रामी बोल लिया तो इस तरह से दस मिनट हो गये हैं। आप जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए।

श्रीमलचन्द्र मोणाः में यहकहरहाथा कि सामान्य वर्ग के जिन लोगों ने फर्जी सर्टीफिकेट एस 0सी 0, एस 0टी 0 का प्राप्त कर लिया है और उसके जरिये नौकरो प्राप्त कर ली है उनके खिलाफ ग्राजतक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता ह कि पिछले आयोग को रिपोर्ट को 30 साल के करीब हो गये और उस रिपोर्ट के ग्रंदर एक विशेष ग्रायोग के गठन की बात थी एस0टी0 के लिए। लेकिन अभी तक उस आयोग का गठन नहीं किया गया । 1991 के अप्रंदर एस सी, एस टी के ग्रायोग का गठन हुन्ना । लेकिन में यह इत्या चाहता हं कि एस सी, एस टी की नगस्वाएं ग्राजग-अलग हैं। इसलिए यह आयोग जो आपन गठित किया है झनच्छेद 338 के झन्तर्भत इससे एस 0टी 0 की समस्याएं सोल्व नहीं होती। इसलिए धारा 339 के ग्रन्तर्गत एक विशेष ग्रायोग एस 0टी 0 के लिए, आदिवासियों के लिए गठित किया जाए जिससे उनको समस्याग्रों का निराकरण किया जा सके । कानुन में इतनी विसंगतियां है कि एस०टी० को उनको यहण करने में कठिनाई महसूस होती है । ग्राप इस संबंध में जानकारी हासिल करें कि इनके कानन न्या हैं ग्रौर सरकार के कानन क्या हैं। उन सब को मिलाकर एक ऐसा कानुन वनाया जाए जिससे उनको सुविधा हो, उनकी समस्याएं सलझ सकें।

[उपसभाध्यक्ष (सैयद किन्ते रजी) पीठासीन हुए]

मैं प्रपने प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हं कि उन्होंने मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए कानन बनाया । जब विकास की बात आती है तो मैं कहना चाहना हूं कि जब तक हम एस 0डी 0 की बस्तियों के - ग्रांटर ग्रावागमन की व्यवस्था नहीं करेंगे, आवागमन के लिए, एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाने की सविधाए नहीं होंगी तब तक वह एक इसरे से सम्पर्क नहीं कर पायेंगे, कोई काम नहीं कर पायेंगे। छुग्राछुत की भावना से इतने भयभीत हैं एस 0 सी 0, एस 0 टी 0 के लोग कि आज भी उनको सरकार के द्वारा इतना सं रक्षण मिलने के बावजुद भी ग्रत्याचारों को महन करना पड रहा है । साज भी हमारे राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाइये कि आप देखेंगे उनको साइकिल पर निकलने नहीं दिया आता । हम बान कर रहे है समानता की, हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की, हम बात कर रहे हैं ग्रार्थिक परिवर्तन की लेकिन जब तक आधिक परिवर्तन ही ग्रैडयल्ड कास्ट झौर शैडयल्ड टाइब्स का नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन इनका नहीं होगा, तब तक कभी भी देश का विकास और देश की प्रगति नहीं हो सकतों पिछले साल राजस्थान के म्रंदर वहां भरतपर में एक कस्वा कबेस है। वहां पर सवर्ण लोगों ने छैडयल्ड कास्ट और सैड्युल्ड ट्राइब्स की बस्तियों पर हमला किया और उनके घरों को जला दिया. लोगों का कत्लेखाम किया । जांच करने वाले लोगों ने जांच की लेकिन ग्राज तक एक को भी दोषों नहीं ठहराया गपा। जब तक शैडयल्ड कास्ट का कोई मधिकारो जिले के ग्रंदर, डी०एम० या आई०पी०एस० जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है, इनमें से एक नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा । तो सरकार को यह नीति बनानी चाहिये कि जिले के संदर डी०एम० या पलिस सपरिटेंडेंट में से एक आडमी झैडयल्ड कास्ट या ग्रैड्युल्ड ट्राइब्स का हो। अगर झाप ऐसा करेंगे तभी उन लोगों को संरक्षण मिल सकता है, उनको छग्राछुत की भावना से, भेद-भाव की भावना से छटकारा मिल सकता है । मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हं, गांवों के अंदर आज इ.इ.इ.) इ.द.इ. है। इ.स.लिये भी

की उचित व्यवस्था नहीं की है। जो डाक्टर आफने वहां नियुक्त किये हैं बे वहां ठहरते ही नहीं हैं। ग्रगर भूलभेड़ से कुछ डाक्टर रह भी जाते हैं कि उन अस्पतालों में, चिकित्सालयों में दवाइयां ही नहीं मिलती, इस कारण वहां कोई इलाज नहीं होता तथा ग्रादिवासी भयंकर बीमारियों से ग्रपने घर में मौत के शिकार हो जाते हैं।

> शिक्षा के बारे में मैं कल कह चका था। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हं कि शैड्यूल्ड कास्ट झौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं की शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है । शिक्षा में उनका प्रतिशत नहीं के बराबर है । प्राथमिकता के आधार पर ग्रैड्यूल्ड कास्ट्स भ्रौर गैड्युल्ड ट्राइब्स की महिलाम्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए । उनको वजीफा देते हुए प्रशिक्षण दिया जाए ग्रौर शिक्षित किया जाए जिससे शिक्षित होने के बाद वह सोचने समझने लगे **ग्रौर** विकास के लिए जो कुछ करना है, वह कर सके । थे यह भी कहना चाहता ह कि म्रादिवासी एरियाज में विकास करना है। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन है वह पानी नहीं होने के कारण सही प्रकार से खेती नहीं कर पाते हैं। जो भी बडे बड़े बांध बनाए जाते हैं जिनकों भूमि पूत्र कहा जाता था उनकी भूमि छीन कर के, ग्रादिवासी जिस जमीन पर ग्रपना पालन-पोषण करते थे, जिस जमीन से सब कुछ जीविकोपार्जन करते मैं, वह बांध ग्रादि-वासी एरियाज के अन्दर बनाए गए हैं लेकिन उसका लाभ ग्रादिवासियों को न मिल कर के दूरदराज में रहने वाले लोगों को मिल रहा है । इसलिए मैं चाहता हं कि सिंचाई के लिए छोटे-छोटे बांध बनाए जाएं । बडे-बड़े बांध बनाने की छोटे-छोटे कोई ग्रावश्यकता नहीं है । बांध इन एरियाज के अन्दर बनाए जाए तभी इन गौड्युल्ड कास्ट्स ग्रौर शड्यूल्ड टाइब्स का ग्रायिक विकास होगा । यदि ग्रीडयल्ड कास्टस और ग्रीड्युल्ड ट्राइब्स का म्रायिक विकास नहीं होगा तो इस देश से

कानून में सख्ती लानी होगी । उन पर भारयाचार होते हैं । यह प्रायः प्रखबारों में देखने को मिलता है कि किस तरह बलात्कार की घटनायें ग्रैंड्यूल्ड कास्ट की महिलाक्रों के साथ होती हैं । प्राग में प्रगर किसी को जलाया जाता है तो वह ग्रैंड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जलाया जाता है । जमीन पर कब्जा किसको नहीं मिलता, ग्रैंड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं मिलता । इंदिरा गांधी जी जमीन देने वाली थी लेकिन उस पर कब्जा तो दिलाइये मंती जी ।

ग्रैड्यूल्ड कास्ट के न(म पर विद्युती-करण होता है। लेकिन ग्रैड्यूल्ड कास्ट बस्ती में बिजली जाती ही नहीं ग्रौर सबर्ण वर्ग के लोगों को बिजली मिल जाती है। इसकी आप पूर्णरूपेण जांच कराइये कि ग्रैड्यूल्ड कास्ट के नाम पर फंड विद्युतीकरण के लिये जारी किथा ग्रौर शैड्यूल्ड कास्ट को बस्ती में कितनी बिजली लग पायी, कितनी नहीं लग पायी। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि ग्रैड्यूल्ड कास्ट के लोग बिजली की मांग करते हैं, उनके नाम पर पूरे गांव में बिजली लग जाती है ग्रौर ग्रैड्यूल्ड कास्ट बस्ती अलग बिना बिजली के रह जाती है।

हन लोगों के लिये औषधालय, अस्पताल झौर चिकित्सालय हमने खोले हुए हैं । **५र** इन ग्रौषधालयों और चिकित्सालयों की स्थिति यह है कि डाक्टर इन एरियाज में जाते ही नहीं । जब तक हम शैड्युल्ड कास्ट भौर शैड्यल्ड ट्राइब्स के लोगों को डाक्टर नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या रहेगी क्योंकि इन एरियाज में शैड्युल्ड कास्ट झौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के डाक्टर ही 🕊 सकते हैं, दूसरे डाक्टर नहीं रह सकते। 📲 यहां रहना ही नहीं चाहते । इसलिये छनको इस बारे में विशेष सुविधा देने के संबंध-में ग्रापको कानन में संशोधन करने होंगे झौर सरलता बरतते हुए शेड्यूल्ड कास्ट और सैडयल्ड टाइब्स के लोगों को डाक्टर बनाना होगा जिससे इन लोगो को म्रपनी बस्ती के मंदर चिंकित्सा सुविधा मिल सके। लेकिन मंत्री जी ग्राज स्थिति क्या है? में इस बात को नहीं नकारता कि ग्रापने चिकित्सालय नहीं खोले. अस्पताल नहीं खोले. लेकिन झापने वहां पर डाक्टरों 355 Government

356

तो छूतछात मिट सकती है और न इस देश के लोग समानता के ग्राधार पर सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं । हमें उनको भी सम्पन्न बनाना है । छूतछात का भेदभाव मिटाना है तो उनको आधिक रूप से मजबुत करना पड़ेगा । सरकार शैडयल्ड कास्टस स्रौर शैड्युल्ड ट्राइब्स के विकास के लिए इतने फंड देती है, स्पेशल योजनाएं देती है । इन्दिरा जी ने गरीबी हटान्चो का नारा दिया था । अप सोश्यो इंकोनोमिक सर्वे करवा लीजिये, यदि ग्रापने कराया है तो उसकी रिपोर्ट क्या है, ग्रांकड़े क्या हैं ? यदि ग्रापने सर्वे नहीं कराया है तो सोश्यो इकोनोमिक सर्वे करा लीजिये कि गरीबी की रेखा के नीचे किलने लोग गरीबी की रेखा के ऊर ग्राए हैं म्रौर अभी कितने गरीबी की रेखा के नीचे दबे हुए हैं ? म्रापको पता चल जाएगा कि जितने कार्यक्रम और जितने पैसे आपने ग्रब तक दिये हैं, उनका सद्पयोग हुन्ना है या नहीं हुआ है । इस बात का प्रमाण आपको मिल जाएगा । जितनी भी योजनाएं हम झैड्युल्ड कास्ट्स और झैड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए दे रहे हैं, उनका कोई लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है । ग्रापने ग्रप्ने वक्तव्य के प्रन्दर बताया था। मैं कुछ टिप्पणियां नहीं करना चाहताथा, म्रायोग दिया है, लेकिन म्रापका कमिशन जो कार्य कर रहा है (समय की घंटी) मझे बड़ा ग्रफसोस है कि इस कमिशन में 10-15-20 शिकायतें मैंने कराई होंगी। एक रुटो ; बनाया हुन्ना है कि हमने विभाग को भेज दिया है, ग्रापका पत्र भिता है। यह ग्रापके कमीशन के निर्णय हैं । ग्रापने बताया कि 26000 केसेज आए थे और 1600 केसेज बकाया है, बाकी सारे केस फाइनल कर दिये हैं । अग्र देखिये कमिशन ने क्या फाइनल किया है ? एक केस भी फाइ-नल नहीं हुन्ना है ? केवल विभाग को लिख दिया, यह डिसिजन हुआ है कमिशन का । ग्राप कमिशन का पुनगठन करिये। ग्रच्छे-ग्रच्छ लोगों को कमीशन में बठाइय जो काम कर सकें। निकक्मे लोगों को निकालिय । ग्रापका कमिशन काम ही नहीं कर रहा है तो शैड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बात कौन

सुनेगा ? जिस कमीशन को आपने काननी अधिकार दिया है, उस कानुनी अधिकार का प्रयोग नहीं हुआ है ? किस ने कानूनी ग्रधिकार का प्रयोग किया है, कितने केसेज में कानूनी ग्रधिकार जो ग्रापने दिया है, उसका प्रयोग हम्रा है ? आप यह सारी बातें बताइयें। इस देश के ग्रंदर ग्रौद्योगिकरण होता जा रहा है । इस देश के ग्रंदर लव उद्योगों की व्यव-स्थाएं की गयी हैं । प्रादिवासी, ग्रौडयल्ड ट्राइब्स ग्रीर ग्रैड्युल्ड कास्टस के लोगों को कितने लघ उद्योग लगवाये गये ग्रौर इनके नाम से कितने उद्योग सामान्य वर्गों के लोग चला रहे हैं . . . (समय की घंटी) बस खत्म कर रहा हूं। 1.00 р.м..

यह भी बतायें कि लघु उद्योगों के लिए झैंड्युल्ड कास्ट्स और झैडयुल्ड ट्राइव्स को अब तक कितना ऋण दिया गया होगा । कितने उद्योग ग्रभी बरकरार हैं; चल रहे हैं ? ग्राप ग्रैंड्युल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्युल्ड ट्राइव्स के लिए विशोष सब्सिडी देते हैं । ग्रापने कानून तो बना दिए लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और झिड्-युल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसे उद्योगों के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं है, उनको जान-कारी नहीं है कि वे क्या उद्योग लगा सकते हैं । उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण दीजिए, उद्योगों का ज्ञान कराइये । कौन-कौन से ग्राइटम्स किस-किस एरिया में ग्रासकते हैं इस प्रकार का ज्ञान उनको होगा तो निश्चित रूप से उद्योग लगःएंगे । लेकिन उनको ऋण देने में जो दिक्कतें श्राती हैं उनको सरल बनाइए ।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने बाबा साहब भीमराव प्रम्बेडकर की जन्म शती मनायी थी । उसमें कई कार्यक्रम हमने दिए, कई घोषणाएं हमने कीं, कई सुविधाएं सरकार ने देने की बात कही । ग्राप इनका सर्वे कराइए, जांच कराइए कि उन पर क्या कार्यवाहियां ग्रब तक हुई हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं।

साथ ही, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रैड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर ग्रैड्-युल्ड ट्राइव्स का विकास कांग्रेस के नेताश्रों कै हृदय के दर्द के कारण हुआ है । कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो इनके विफास की बात करती हैं । इम्पलीमेंट होने का जहां तक सवाल है तो एक विशेष कानून लाकर जो कार्यकम दिए आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराइए ।

14 रिपोर्टें जो ग्रब तक आई हैं उनमें से ग्रापने 5-6-7-8 का यहां पर विवरग प्रस्तुत किया है। मैं यह चाहता हं कि ग्राप ग्रब तक की सारी रिपोर्टे ग्रौर जो भी कर्यक्रम हमने दिए जो भी समस्याएं हैं ग्रौर उन समस्याग्रों के निरा-करण के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं

यह िपोर्ट अगले सदन केसत्र में पेश करें जिसते लोगों को यह पता लग सके कि अब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और डिड्यूल्ड ट्राइव्स का इतना विकास हो पाया है ।

मैं इन बातों के साथ मंत्री जी को यह तिवेदन करना चाहंगा कि ऋण देने के लिए हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था । स्राज उन बैंकों के स्रंदर रिथति यह है कि इन शिड्यूल्ड कास्ट्स स्रौर षिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लोन ही नहीं दिया जाता है। लोन दिया भी जाता है तो भ्रष्टाचार इतना फैला है कि जितना उसको फायदा होने वाला है उससे ज्यादा नकसान उसको उठाना पड़ता है जबकि इंदिराजी का उददेश्य था कि इस देश के **शिडयल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड टाइव्स** के लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है। ये ऊपर तभी हो सकेंगे जब बैंकों क*े* नेश-नलाइजेशन किया जाएगा और बैंक उनको ऋण देंगे । लेकिन बैंकों की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि इन लोगों को ऋण देने में कई कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लिखें कि शिडयल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइव्स के किसी भी प्रतिनिधि से यदि ऋण के मामले में बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार की बात करे...तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। साथ ही आपने रियोर्ट प्रस्तत की ग्रायोग के बारे में सरकार ने जो कुछ किया उसके लिए लो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहंगा

श्रौर जो समस्यायें रह गई हैं, कई दिक्क सामने हैं, उनको पूरा करने के लिए नए तरीके से जया कानून बनाकर उनको पूरा किया जाए । उदाहरण के तौर पर, मंत्री जी मैं एक उदाहरण बताना चाहता हुं।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज्ञी) : कृपय' समाप्त करें, कई स्पीकर ग्रीर हैं ।

श्री मूनच द मीणाः सर, एक मिनट, रेलवे के अन्दर कर्मचारियों की कैटेगरी "सी" होती है । 1991 के ग्रदर 45 कर्मचारी शैड्यूल्ड ट्राइक्स के भरे जाने थे। वेकेंसीज निकली, विज्ञापन हुए, 1991 में परीक्षा भी हुई । अब 1994 है, आज तक न रिज़ल्ट ग्राया है ग्रौर न किसी कर्मचारी को लगाया है। बल्कि रेलवे विभाग में... (व्यवधान) भर्ती की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। इस प्रकार के जब सरकार में, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्युल्ड ट्राइव्ज की हितैषी है, उसकी सरकार होते हुए भी इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार की दुर्भावनाएं कई विभागों के संदर विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं, इन्टरव्यू होते ही नहीं हैं । इस-लिए आपको एक नया कानून लाना पडेगा सख्ती के रूप में और नया कानन लाए हैं और इस आयोग को अधिकार के रूप में यह ग्रायोग कार्य करे तो मैं यह मानता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, ग्रैडयुल्ड ट्राइव्ज का निश्चित विकास होगा ।

इन्हीं शब्दों के स**ाथ मैं** ग्रंपनी बात समाप्त करता हं । ज**4 हिन्द ।**

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंथाव): उपसभाष्ठ्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगजार हूं कि आपने मुझे बहुत ही । झहम मसले पर बोलने का मौका दिया है इस बात की भी खुशी है कि एस. सी. त्रोर एम. टी. की रिपोर्ट पर बड़े खुलकर विचार हो रहा है श्रीर बहुत सारे दोस्त बड़ी डिटेल में दोन्तीन रोज से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी जिसने,

360

मध्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सबजग उपजिया, कौन भले कौन अंदे

एक पिता एक के हम बारक, इन मुत्रभी का आदेश ले कर, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को एक जन्म दिया, कांग्रेस 🛱 एक नई फूंक भरी कि जो समाज के पिछडे ग्रीर लताड़े हुए लोग हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। आज हम श्री राव साहब का झौर श्री बेध्रंत सिंह जी का गुत्रिया ग्रदा किए बगैर रह नहीं सकते कि हमारे पहली दफा गंजाव के दो एस.सी. भ्रौर एस.टी. कास्ट के लोग इस पविल स्थान में बैठे हुए उन लोगों की नुमायदगी के लिए ग्रपने कुछ विचार उनकी मुश्कि-लात, उनके दुखों की कुछ दवाई झापके सामने रख रहे हैं। मेरे से पहले, यह मैं कहना चाहता हूं कि शेष्ट्रयुल्ड कास्ट का जो मसला है बहुत से कमीशन बने हैं, बहत सी ग्रीर कमेटियां बनी हैं, लेकिन ग्राधी सदी हो गई है. प्राधी सदी के बाद भी जो नए-नए प्रोग्राम दिए हैं वह केवल कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। जब भी दूसगी सरकारें इस देश में आई हैं लोगों को सरकार से इन लोगों की डिवलपमेंट से इन लोगों को छतछात बनाने में उन्होंने ग्रपना काम किया है। हम उस कीचड़ से निकले हैं जहां कि हमें इंसान भी नहीं समझा जाता था। एक वह इंसान जोकि देश के पवित्न पैगम्बर और गुरूओं की धरती में वैदा हुआ। हो एक इसान आकाश में उदारी लगाता हो, मंदिरों व मस्जिदों में जाता हो, सरकार में बैठवर ग्रपने इक में कानून बनाता हो, जमीन का काश्तकार हो, एम्ररकंडीशंड बंगलों में बैठा-कर बात करते हो, लेकिन उपसभापति महोदया, ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने कि देश के निर्माण के लिए काम किया है, देश के लिए आजादी लाई है, शैंधयुल्ड कास्ट के लोगों ने कुर्वानियां दी हैं। पाकिस्तान ग्रौर चायना की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्वानी एस.सी./एस.टी. के लोगों ने री है और देश के डवलपमेंट के

लिए बहुत योगदान दिया, लेकिन महोदया भ्राजाने से पहले हमारा कोई बोट नहीं था, छुग्रा-छुत इतनी थी कि ग्रादमी का साया देखकर लोग पलीत हो जाते थे फिर हमें बोट डालने या सरकार बनाने का लो काम ही क्या था ? हमें गुरूद्वारों ग्रीर मंदिरों में जाने की तो बात ही क्या, हमें सरकार की क्रसीं देखने की तो बात ही क्या हमें चौकीवार भी नहीं रखा ज!ता था। महोदया, आज हम उस महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, हम उस नेहरू खानवान को नहीं भूल सकते जिन्होंने कि हमें इस पवित्न जगह पर खडा किया, लेकिन दुख श्रौर भ्रफसोस की बात यह है कि आज 46 साल गुजर गए हैं, इनके लिए जो नई स्कीम बनाई जाती हैं उन श्कीम पर श्रमल नहीं होता है।

महोदया, हमारे लिए पोस्ट्स का रिजर्वशन किया गया है। लोकसभा में भी किया गया है और एसेंबलियों में भी रिजर्व-शन किया गया है। तो जब रिजर्वेशन-हो गया, है विधान के अंदर यह है कि इनको रिजर्येशन देना है, तो मैं कहना चाहता हं मिनिस्टर साहब से कि जो रिजर्ब पोस्ट होती है मो वह शेड्युत्ड कास्ट को जानी चाहिए। ग्रगर छेडयल्ड कः स्ट उस दग्तर में नहीं है तो वह डि रिजर्व की जाए, लेकिन जब शेड्यल्ड कास्ट वहां बैठा है तो उसे वह पोस्ट क्यों महों दी जाती है? इसी तरह कुछ प्रमोशंस में भी बात होती है। जो हमारी बहुत से श्रफसर हैं, जब वहु प्रमोशन के नजदीक ग्राते हैं तो एक-दो ग्रजी सज्जे-खब्बे से लेकर उसके फिलाख दी जाती है। उस पर केस चलाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उसका प्रमोंशन रोक दिया जाता है मौर नेक्स्ट मादगी जोकि नान-शैद्युल्ड कास्ट से होता है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। मिनिस्टर साष्ट्रब मैं ग्रापसे पुछना चाहंगा कि जब <mark>आप रेक</mark>-

डिप्लोमा होल्डर, कोई डाक्टर, कीई बी.ए. बी.एड. या ट्रेनिंग लेकर जब कालेज या स्कूल से वापस ग्राए तो उसको फौरन नौकरों देनी चाहिए । इसकी एक सालाना रिपोर्ट भी सदन में ग्रानी चाहिए कि कितने शैंड्युल्ड कास्ट इस देश में · एजुकेशन ले चुकें हैं, कितने डाक्टर हैं, कितनी जुडीशियल में हैं, कितने एग्जीक्यू-टिव में हैं। ग्राज हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई महत्व नहीं हमारे हाइकोर्ट में एसा है कि जब पर-मोशन की बात म्राती है तो वहां पर तीन साल की जो रिपोर्ट है वह लेनी पड़ती है ग्रौर उसमें दूसरे जजों को पता 🚙 चलता है कि यह शैड्यूल्ड कास्ट का श्रागे म्राने वाला है तो उसके खिलाफ कोई न कोई म्रर्जी दे देते हैं या दूसरे जैसे कुछ रिपोर्ट का होता है । अगर सेटिसफक्टन्टि रिपोर्टर तो भी उसको परमोशन नहीं दे तो मेरी ग्रापसे दरख्वास्त है कि जुडीशिय ग्रौर एजीक्यटिव में भी ग्राप इसका पूर ध्यान रखें ग्रौर जो ऐसी बेइंसाफी हो रही है, इस बेइंसाफी को दूर करें।

सरकार ने बहुत सी चीजें हमारे सामने लाई है। मैं बताना चाहता हू कि एम्प्लाय-मेंट की बात यह है कि, जो एडेंड स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, उसको गवर्नमेंट टेकग्रोवर करती है। बहुत सारे लोग एसे प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने ग्रपने स्कूल खोले हुए हैं स्रौर उसमें सारे घर वाले ही रखे हुए हैं । उसके बाद पोलिटिकल प्रेंशर डालकर गवर्नमेंट को उन स्कुलों को हेंडग्रोवर कर देते हैं। इससे वह एक पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्विस में चली जाती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब, जब ऐसे ऐडेड स्कूल गवर्नमेंन के हैं ग्रौर गवर्नमेंट को जब मैनेजमेंट कमेशी हेंडग्रोवर करती है। तो उसमें रिजर्बेंशन का जरूर देखना चाहिए कि उसमें रिजर्वेशन पूरा है या नहीं ? एक फैमिली के सभी मैम्बर्स को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनाना चाहिए। यह तो स्कूल की बात हुई, बहुत सी मिलें ऐसी हैं, जिनको हम डैंड मिल कहते हैं और वह गवनमेंट ले

गाड़ी में चलते हैं तो ग्राप टिकिट रिजर्व करा लेते हैं ग्रौर कहते हैं कि यह सीट हमारे लिए रिजर्थ हो गयी है। तो उस सीट पर दूसरा म्रादमी कैसे चा जाएगा ? हमारा कांस्टीट्युशन जोकि बहुत ही ग्रच्छे 🕈 जास्फरों और सझबान लोगों ने लिखा ह ग्रौर डा0 बी. ग्रार. ग्रम्बेडकर को इस कांस्टीटयशन का मोडी बनाया था, उनको पता था कि इन गरीब लोगों की क्या-क्या मुश्किलात हैं । इसलिए उन मुश्किलात को हल करने के लिए उन्होंने संविधान में जिक किया है। तो जब ये पोस्ट्स हमारे लिए रिजर्वहो गई हैं तो उन्हें डि-रिजर्व कर के दूसरों को नहीं दी जानी चाहिए। इससे हमारे मुलाजिमन में बहुत डर, भय और मायूसी है और वे निराशा से भरे हैं। यह इस किस्म की बात होती हैकि हम आगे नहीं बढ़ सकते । कि हम आगे बढ़ नहीं सकते । हमें दय। तो है दे तो दिया है लेकिन उसका ग्रमल नहों होता । ऐसा नहीं होना चाहिए । इससे बहत सारी मलाजिमात मायूस होकर दूसरी तरफ चली जाती हैं।

वाइस चेयरमैन साहब, बहुत से डाक्टर बहुत से इंजीनियर, बहुत से बी.ए.बी.एड. बहुत से हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनके ग्रब तक एम्प्लायमेंट नहीं मिला । देश में बहुत सारी ग्रनएम्प्लायमेंट है, मैं ग्रगर गिनती ग्रापके सामने रखूं तो कलेजा बाहर को आता है। ग्रब एक आदमी ट्रनिंग ले लेता है, डाक्टर बन जाता है, बी.ए. बी.एड. हो जाता है, उसको दो, चार, पांच साल नौकरी नहीं मिलती श्रौर फिर वह ग्रोवर एज हो जाता हैं, बिना नौकरी का रह जाता है। अगर पढ़ा लिखा ऐसे रह जाएगा तो बह तो अनपढ से पोछे चला जाएगा। इसलिए मेरी माननीय मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि आप इस पर गौर कीजिए कि जहां भी ग्रैड्युल्ड कास्ट का कोई

363 .Government

लेती है। जब उनको गवर्नमेंट लेती है, तो उसमें यह कहना चाहता हूं कि जब मिलें हेंडग्रोवर हों तो उसमें भी हमारी नुमाइंदगी देखी जानी चाहिए। जब हम उनमें काम करते हैं, हम गन्ना लाते हैं, हम धागा बुनते हैं, मशीन में काम करते हैं, मगर जब मिलें गवर्नमेंट को दी जाती हैं तो हमारे स्टाफ को निकाल दिया जाता है। ऐसे जो हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन रहे है, उस ग्रोर मंत्री महोदय गौर कर, ध्यान देकर, ग्रपने दिल में दर्द रखकर दूर करायें इगौर महात्म गांधी के सपने को पूरा करने का यत्न करें।

ग्रब लेबर की बात ग्राती है, जिसको बांडेड लेबर कहते हैं। वह ऐसे होता है कि हमारे लोगों को खेत में या तो प्राइवेट मिलों में या घरों में हमारे लोगों को नौकर रखा जाता है। कई-कई साल उनको ग्रपने साथ रखा जाता है। तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है, कभी उनको तनख्वाह देते हैं, कभी नहीं । मिनिस्टर साहब, मैं श्रापसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक किराने की दुकान पर छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र 18 साल से ग्रधिक होती है, उसकी तो हाजिरी लगती है, शाप इस्पेक्टर देखता है कि ग्रापकी किराने की दुकान या कपड़े की दुकान या दुसरे ग्रौर स्टोरों में कितने ग्रादमी काम करते हैं, उनको तो पूछा जाता है, उनकी तनख्वाह के बारे में तो पूछा जाता है, लेकिन हमारे देहात में खेतों में जो लोग काम करते हैं उनका कहीं रिकार्ड नहीं होता है ग्रौर कभी उनका जब झगड़ा होता है, लैंड लार्ड से जब वह तनख्वाह मांगता है या उनसे कहता है कि मेरी तनस्वाह को ग्रौर ज्यादा करो तो उसका कहीं रिकार्ड नहीं होता और कोई उसका आगड़ा निबटाने वाला नहीं होता लैंड-लाडे कहता है कि मैंने तो आपको 100 रुपए पर रखा था, 100 रुपए लेने हैं तो ले लो नहीं तो निकलो यहां से । तो मैं ग्रापसे दरख्वास्त करना चाहूंगा बड़े ग्रदब से कि यह बहुत जरूरी मेरा क्वेश्चन है ग्रापकी खिदमत में कि देहातों में जो लोग काम करते हैं उनका रिकार्ड पटवरी के रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने कब से काम णुरू किया है, कितनी तनख्वह पर किया है ग्रीर कितने घंटे यह काम करता है। यह ग्राप गौर से मेरी बात नोट कीजिए देहातों का मसला है, न उनकी थाने में सुनवाई होती है ग्रौर न कहीं ग्रौर सुनवाई होती है, तो यह बहुत जरूरी प्वाइंट है मेरा ।

बहुत से हमारे लाँ ग्रेजुएट हैं, उनको कहीं त्रांध कमिश्मर की बात नहीं होती, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए । नोटरी पब्लिक जो है, उनको भी जगह नहीं मिलती हमारे बहुत से वैल एजुकेटिड बेरिस्टर पड़े हैं, उनका बहुत सी जो स्टेंडिंग काउंसिल हैं, उनमें भी जगह नहीं मिलती श्रौर दूसरे लोग इसको ले जाते हैं। तो हमारी प्रापसे दरख्वास्त है कि अगर आप उनको केस देगें, स्टेंडिंग काउंसिल में वे होंगे तो गरीब एस.सी./एस.टी. का जो केस आएगा तो वह उसको हमदर्दी से निबटाएगा। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको जरा ध्यान से देखिए । जो हमारा बड़ा मसला है....

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी): कृपया समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: आगे बढ़ूं? ठीक है, जैसा ग्राप हुक्म करें। तो मेरी ग्रापस दरख्वास्त थी कि यह जो हमारा श्रीरतों का एक बड़ा मसला है, हमारी श्रीरतों घर में तो काम करती नहीं, वह खेतों में काम करती हैं या किसी लैंड-लार्ड के घर में काम करती हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। श्रभी-श्रभी ग्रापने देखा होगा कि यू. पी. में, बिहार में इससे पहले तो हमारी झग्गियां जलाई गई. दूसरे, जैसे मेरे भाई ने बोला है, मै मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने शैड्यूल्ड कास्ट श्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स का साटिफिकेट लेकर एम०बी०बी०एस० में दाखिला लिया है। कुछ डिप्लोमा होल्डर्स हैं।

उपसभाष्यक (श्री सैथव सिक्ते रज्ञो): कल्याण जी, क्योंकि लंच का समय हो रहा है, ग्राप कृपया समाप्त करें।

श्री मोहिल्टर सिंह कल्पाणः लंच से पहले दो-चार मिनट रह गए हैं। लंच से पहलें समाप्त कर दूंगा। अगर आप कहें ता सभी बैठ जता हं।

उथसमाध्यक (सैथद सिक्ते रजी): चलिए, समाप्त करें। ग्राप चार मिनट ले लीजिए। लेच से पहले-पहले समाप्त करदें। मैं ग्रापसे ग्रनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : तो जो लोग ग्रैड्यूल्ड कास्ट ग्रौर गैड्यूल्ड ट्राइक्स का सटिफिकेट लेकर डाक्टर बने हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे फर्जी सटिफिकेट लिए हैं। बाद में उन साटिफिकेटों को रद्द किया है ग्रौर उनकी सविसेज को डिसमिस किया गया है। जो लोग ट्रेनिंग में ग्राए हैं उनको इस कारण ट्रेनिंग से बाहर निकाला है। इसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए।

में ग्रापसे थह भी दरख्वास्त करूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट हैं, वह शैड्यूल्ड कास्ट को दिए जायें तथा इसके लिए एक कोग्रापरेटिव सोसाइटी बना दी जाए, वह उसमें काम करें। मेरी आपसे यह मी दरख्वास्त है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक कमीशन बना दिया है। लेकिन उस कमीशन की डेट खत्म करने की लिखी हुई है, लेकिन इस कमीशन को डेट यह नहीं बताई कि यह कमीशन को डेट यह नहीं बताई कि यह कमीशन कब काम करगा। इन लोगों के लिए मेरी ग्रापसे दरख्वास्त है कि सहरों में बहुत सी अमीन एडी हुई है। इन लोगों को सफाई करन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो

हर किस्म का हमला हमारे ऊपर होता है, लोगों की बेइज्जती होती है । हमारी, खासकर एस०सी०/एस०टी० की औरतों की बेइज्जती की जाती है, उनको नंगा नचाया जाता है। अगर आजादी के बाद भी हमारी बहनों स्रौर भाइयों की इस किस्म की हिफाजत नहीं तो फिर कहां मिलेगी ? मैं समझता हं कि हमारी सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, इस सरकार के काल में बहुत कम ऐसे वाक्यात हुए हैं। ग्रब जहां-जहां, यू.पी. में सरकार है, कितने लोगों पर हमले किए जाते हैं, अनटचेबिलिटी ग्रभी भी है। जैसी मेरे भाई ने बात की कि एस०सी०/एस०टी० काव्यक्ति अप्रपना जुता पहनकर जा नहीं सकता, अपना कपड़ा ग्रच्छा नहीं पहन सकता। ग्रनटचे-बिलिटी का जब कानून बन गया है तो लोगों को सजायें क्यों नहीं दी जातीं ? लूट-मार, डाकेजनी, झुग्गियों को जलाना, रेप के कैस, करल करना, यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। दूसरे स्टंटों में, राजस्थान में, बिहार में, यू०पी० में ऐसे वाक्यात हुए हैं, इन वाक्यात की इन्क्वायरी करके सदन में रिपोर्ट देनी चाहिए, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है। अब ज्यादा लोग जता बनाते हैं। ग्रंब लैंदर का काम हैं, ज्यों-ज्यों हम मोडरेट होते चले जाते हैं। अब सारा जो काम है वह दूसरे लोगों ने ले लिया है। मैं ग्रापसे दरख्वास्त करूंगा कि हर सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर, स्टेट लेविल पर एक लैंदर कारपोरेशन होना चाहिए । इस लैंदर कारपोरेशन को सस्ता बिना व्याज का कर्जा एस ०सी ०/एस ०टी ० लोगों को देना चाहिए । जो लोग सूत बनाते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का लाईसेंस भी देना चाहिए। यह जो रेडीमेड कपडा जाकेट वगैरह हैं, यह सब लैदर की होती हैं और इनका बहुत बड़ा काम जालंधर में है। उसको आगे बढाने के लिए जरूर सहायता देनी चाहिए। -(घंटी)--मैं आपसे यह भी ग्रर्ज करूंगा कि अगर हमारी बह-बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटनी है तो हमें घ्रपनी खुद हिफाजत के श्रसलहे के लिए ट्रेनिंग दो और असलहा मफ्त दो। फिर हम देखेंग कि वह कैसे हमारे लोगों की बेइज्जती करते हैं।

भह्यां पर शहरों में जमीन है, उस पर इन लोगों के लिए कालोनियां बनानी चाहिए श्रीर उसमें सस्ते रेट पर इनको मकान देने चाहिए, यही महात्मा गांधी का ग्रसली सपना था। तो मैं ग्रापसे यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो कारपोरेशन या कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो इस कमीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन लोगों पर जो अत्याचार तथा अन्य वाक्यात होते हैं, उन सबकी इसको एक सालाना रिपोर्ट इस सदन में देनी चाहिए।

इनकी बहुत बड़ी समस्या जमीन की है। जमीन तो कांग्रेस राज ने दी है। बहुत श्रच्छी बात की है। लेकिन जो बड़े-बड़े लैंड लार्ड हैं जमीन उनके नाम है। हमें जमीन की एलौटमेंट तो हो जाती है लेकिन हमें कब्जा नहीं मिल पाता है। मैं ग्रापकी खिदमत में बड़े ग्रदब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कांग्रेसपार्टी, हमारी सरकार----राव साहब की सरकार चाहती है कि हिन्दुस्तान का पिसा हन्रा मजदूर, हिन्दुस्तान के एस०सी०, एस०टी० के लोग खेतीबाड़ी करें ग्रौर उन लोगों को जो जमीन दी जाए उसका उनको कब्जा भी दिलाया जाए । इसके अलावा उनकों ट्यूबवैल के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके बैलों के लिए बिना किसी ब्याज के उनको कर्जा देना चाहिए ताकि वह ग्रादमी मागे बढ़ सकें । ऐसी सोसाइटीज भी हैं जिनके नाम में शैड्युल्ड कॉस्ट, शैड्युला ट्राईब्स लिखा हुम्रा है। तो उन सोसाइटीज की भी रिपोर्ट ग्रानी चाहिए कि इन लोगों के काम करने के लिए म्रापने क्या-क्या किया 🗗 आ है। कितनी सोसाइटियां हैं और कितना-कितना गवर्नमेंट ने उनको एड देने के लिए प्रण किया है ? कितने रुपए दिए हैं ?

उपसमाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी): प्लीज खत्म करें। श्रापने डेढ़ बजे कावादा किमाथा, डेढ बज गया है।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : साहब, :'इम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कल्ल भी करते हैं; चर्चा नहीं होता,,। शकिया । THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY HA I): Mr. Virendra Kataria, please take the floor.

श्री वीरेःद्र कटारिया (पंजाब) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं ग्रापका मशकूर हूं कि ग्रापने मुझे बोलने का मौका दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SUBTEY RAZI): Mr. Kataria, you can continue after the lunch break. The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

> The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past wo of the clock, The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Now, we will continue the discussion on SC/ST Reports.

श्री वीरेन्द्र कटारिया: मैडम वाइस चेयरमैन, आफ्का बहुत शुक्रिया । मैडम, मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान कों आजाद हुए करीबन 50 साल हो गए। हिन्दुस्तान का जो विधान बना उस में छुत्राछूत को खत्म करने के लिए हिन्दुस्तान के जो दबे हए ग्रौर कूचले हुए लोग हैं उन का शोषण रोकने के लिए, उन का उत्थान करने के लिए कांस्टीट्यू शन में व्यवस्था है । कानून की किताब में तो छुआछूत खत्म हों गई म्रौर बहुत से ऐसे कानून बने हैं जिन में ग्रैडयल्ड कास्ट श्रौर ग्रैंड्यूल्ड ट्राइब्ज को ऊंचा उठाने के लिए व्यवस्था है । स्टेट्स में भी इसके लिए कानून बने हैं और यहां भी कानुन बने हैं। लेकिन इन सब कानूनों के बावजूद, किताबों में तो ये कानून दर्ज हैं, लेकिन जो दिल की किताब है शायद उसमें बहुत हल्का सा भी इनका कोई अक्स नजर नहीं ग्राता । जब तक ग्रंदाजे फिक नहीं बदलती, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती, मैं नहीं समझता कि हमारे माथे पर जो कलंक लगा हुन्ना है, ग्राज से नहीं मनेकों सालों से, उस के दूर होने के कोई म्रासार हैं ।

मैंडस, मुझे ग्रपने बचपन के वह दिन याद हैं, ये बातें झाजादी के पहले की हैं, जब पानी पिलाने के जो मंदिर हैं, जो प्याऊ है किस तरीके से बड़े ग्रादमियों के लिए, सवर्ण जातियों के लिए, हरिजनों के लिए, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए जब मैं तसव्वुर करता हूं तो मुझे बांझ की नालियां म्राज भी नजर म्राती हैं जहां षिछड़े हुए, दबे हुए लोगों को पानी पिलाया जाता था । दूसरी जगह से वह पानी पी नहीं सकते थे । मंदिर में वह जा नहीं सकते थे। स्कूलों में उन के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, नौकरियों में उनके लिए दरवाजे बंद थे, मेम्बर वह ऐसेंबली के बन नहीं सकते थे, एमपी बन नहीं सकते थे, कोई बड़े ग्रफसर बन नहीं सकते थे, ये सारे तसव्वुर हमारे सामने हैं। बापूने एक ही बात कही थी कि जब तक हिन्दुस्तान के किसी मजलूम की आंख में ग्रांसू है तब तक इस स्वराज का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता । इस झाजादी को लेकर इस मकसद को लेकर उन्होंने हिन्दुस्तान में एक चेतना की लहर दौड़ाने की कोशिश की । कांग्रेस की सारी तहरीक इस बात की गवाह है कि ग्रंड्यूल्ड कास्ट ग्रौर उस के साथ दबे हुए, पिछड़े हए, कूचले हुए लोगों के लिए आजादी की तहरीक में जो प्रोग्राम बनाया, इन लोगों को ऊंचा उठाने की तहरीक का एक हिस्सा था । ग्राजादी जब हिन्दुस्तान में माई तो जो विधान बना उसमें छूआछूत को कानून की नजर से एक जुमें करार दिया गया । शैडुल्ड कास्ट और शैडुल्ड ट्राइब्ज कव ऊंचा उठाने के लिए कानून बना, कमीशन बना और ग्राज उस कमीशन की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए, बहस करने के लिए मैं भी उस में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हू । सब कुछ होने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने कानून बने उस पर ग्रमल कम हुन्ना, अगर मैं यह कहूं कि जो कानून बने उनका उल्लंघन ज्यादा हु**धा** श्रौर उन पर ग्रमल कम हुन्ना तो में समझता हूं मैं कोई मुवालगा से बयान नहीं कर रहा हूं। हिन्दुस्तान में झाज भी प्रनाज का भडार भरा पड़ा है। अनाज रखने के लिए जगह नहीं है लेकिन ग्राज भी हिन्दुस्तान में बे बच्चे जिनकी उम्र खेलने की है, जिनकी उम्र उमगों से, ग्रहसासों से खेलने की है, जिनके लड़कपन के दिन हैं उन बच्चों को ग्राज भी बीड़ी के कारखानों में, माचिस के कारखानों में, ग्रातिशबाजी बनाने के कारखानों में काम करना पड़ता है। उन 50 मिलियन बच्चों का जिनका मैं जिक कर रहा हूं 90 फीसदी शैंडयूल्ड कास्टस और ग्रीडयूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हं कि यह कैसी झाजादी है, यह कैसा कानून है कि जिन बच्चों कि किस्मत को बनाने के लिए हमने कसमें खाई है, विधान बनाया है, ग्राजादी की जंग लड़ी है, इस ग्राजादी के इतने साल गुजरने के बाद भी आज वे बच्चे, 50 मिलियन बच्चे एसे काम करते हैं। कोई मौर मूल्क हो जिसमें सेंकडों बच्चे इस किस्मत के बारे में हों तो उस मुल्क में तुफान मच जाता है ग्रौर यह तो 50 मिलियन बच्चे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मपनी नाजक उंगलियों से बीड़ी बनाते हैं। उनमें 90 फीसदी हरिजन, पिछड़ी जाति, गैडयुल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं। ग्राज हरिजनों के उत्थान के लिए हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कानून बनाते हैं,। उनके लिए सीलिंग **कानून बनाया** है लेकिन में कहना चाहता हूं कि अगर किसी कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ी हैं तो टेनेंसी लांकी उड़ी हैं, सिलिंग कानून की उड़ी है। मैंने ग्रपने इलाकों में मुजाहि्दों को देखा है ग्रदालतों के धक्के खाते हुए। मुझे ग्राज भी एक मुजाहिद का नाम याद ग्राता है केसरराम जो ग्रबोहर से चलकर चंडीगढ साईकिल पर आया था 300 किलोमीटर का सफर तय करके फिर भी वह जनीन का मालिक नहीं बन सका। वह गरीब था, हरिजन था। बड़े मालिक के घर का लड़का नहीं था, बड़े-बड

371 , Government

वकीलों का मकाबला नहीं कर सकता था। यह हमारे समाज पर और हमारे निजाम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं यह कहना चाहता हं कि म्राज हमारा मुल्क एक ऐसे पहाड के दहाने पर खड़ा है कि ग्रगर यह अन्याय जारी रहा, यह खिलबाड़ जारी रही, यह बेइन्साफी जारी रही तो हिन्द्स्तान के करोड़ों लोगों का विश्वास इस डेमोकसी के िजाम से इस विधान से उठ जायेगा और हिन्दस्तान की तारीख में एक बडी बदकिस्मती होगी। **म्राज हम** हरिजनों के लिए, शैडयुल्ड कास्ट्स के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, हाँउसिंग कालो-नीज बनाते हैं तो कहां पर बनाते हैं ? शहर के बाहर बनाते हैं। यह जो हमारा कांसेप्ट है यह बिल्कूल गलत है। वह शहर में क्यों नहीं बना सकते ? उनके लिए अलग दूर जहां कोई बस्ती नहीं, ग्राबादी नहीं वहां पर सरकार की तरफ से उनके लिए बस्ती बनाई जाती है ग्रौर उस बस्ती का क्या हाल है कि कोई बिजली नहीं है. कोई पानी नहीं है, कोई लेट्रीन्स नहीं हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है । अगर इसी तरी के से हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, ग्रगर इसी तरीके से हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो यह ग्रपने ग्रापको धोखा देने वाली बात हो सकती है। मैं नहीं समझता कि उनको ऊंचा उठाने का कोई मकसद इससे पूरा होने जा रहा है। ग्राज लोगों को पौलिटिकल फीडम तो मिल गयी लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि जब तक ग्रायिक ग्रौर सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक और सामाजिक न्याय हरिजनों शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों पिछडे बर्गों को नहींमिलता तो यह आजादी बेमानी है। मैं बडे ग्रदब के साथ वजीर साहब की खिदमत में कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को, उन पिछड़े हुए लोगों का ऐसा सोचना है कि हमें अभी आधिक आजादी और सामाजिक न्याय तो दूर की बात है, बल्कि उसका तसब्बुर भी बहुत घुंधला है ग्रौर ऐसी कोई तस्वीर एसे इंसाफ की नजर नहीं ग्राती। ग्राज 50 साल की आजादी के बाद भी हिन्दस्तान के भखन। रात इस नात से भरे पड़े हैं कि झाज इस

जगह पर हरिजनों पर हमले किये गये, इस जगह पर उनकी ग्रौरतों को बेइज्जत किया गया. इस जगह पर उनके साथ ज्यादती हई, इस जगह पर जला दिया गया। 50 साल के बाद भी अखबारों में ग्रगर ऐसा ग्राए तो हमारे लिये कोई पक्ष की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। गांधी जी ने ग्रपनी जीवन की कूर्बानी देकर शैड्युल्ड कास्ट को ऊंचा उठाने के लिए की । कांग्रेस ने भी ग्रपने सारी ग्राजादी की जंग को इनको ऊंचा उठाने के साथ वावस्ता किया। लेकिन हमारे जो ब्युरोकेसी है, हमारा जो निजाम है, उसमें जब तक इनकी हिस्सेदारी नहीं होती, उनको पोलिटिकल सत्ता नहीं मिलती, उनको एकानामिक बराबरी नहीं मिलती, उनको सामाजिक दर्जा नहीं मिलता, उनकी आवाज में उनके करपार में, उनकी पर्सनलटी का इम्पैक्ट हमारे समाज में नहीं पडता, तब तक ये रिपोर्टे हर साल पेश होती रहेंगी और हम इन रिपोर्टों को डिसकश करके ननिस्तन्द, गुप्तन्द, बरस्वास्तन्द होते रहेंगे स्रौर यह देरी हमें उस जगह पहुंचा देगी, जैसा मैंने कहा कि हम अतिशफसाँ पहाड़ के दहाने पर खडे हैं जो कि फटने वाला है। जब कोई बड़ा दरख्त तूफान में गिरता है किसी बड़े आदमीने यह कहा था श्रौर मैं भी कहना चाहता हं कि दबे हुए, पिछड़े हुए घरों की ग्राप बद्दग्रीयें न लें और उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें। उर्दुका एक शर है :

"फसादी घरों को जा चुके हैं, श्रौर मुहाफिज रात भर चौकस खड़े हैं."।

सिपाही हैं, थानेदार है, पुलिस है, सब कुछ है लेकिन आज फिर भी उन बेकसों को लूटा जाता है, उन पर जुल्म किये जाते हैं, उनकी औरतों की करदारकसी की जाती है, उनकी बेइज्जती की जाती है। क्या प्रापने कभी इस बात का एनालेसिस किया है,इस बात के झांकड़े इक्ट्ठे किय हैं कि जिन लोगों को जिन बहनों की बेइज्जती की गयी है तो जिन्होंने उनको बइज्जती की गयी है तो जिन्होंने उनको बइज्जत किया उनमें से कितनों को सजा हुई है। नतीजा क्या है ? यह संख्या इतनी कम जजर झाती है कि इसाफ के अपर से एतदमा उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। तो मैं कहना चाहता हुं कि इस माहौल को, इस सिचु-येशन को, इस सोच को बदलने की जरुरत है । ज'ब तक यह बदला नहीं ज'ता है, जब तक ड्रास्टिक कदम नहीं उठाये जाते हैं तब तक इसका हल नहीं होगा। जो लोग राजपाट करना चाहते हैं, हरिजनों के नाम पर मजदूरों **के नाम पर, पिछड़े हुए लोगों के नाम पर** उनको चाहिए कि वे उनको इंसाफ दें। अगर वे उनको इंसाफ न दे पाये उनके लिए राज करना मुझ्किल हो जायेगा। ग्राज उनमें चेतनाग्रा चुकी है लेकिन यह गलत चेतना से भी हो सकता है । मुल्क का भला इस बात में है कि उनकी जो तोकत है, उनकी जो शक्ति है वह कस्ट्रविटव तरीके से चेनलाइज हो। मुल्क का डवलपमेंट ग्राहिस्ते ग्राहिस्ते जिस तरीके से हम करना चाहते हैं करें। यह हमें जम्हरी तरीके से करना चाहिये। मगर ये शक्तियां पायमाद हो गई तो वह दूसरा रास्ता भी सोच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हं कि यह न उनके लिये ठीक होगा और न मुल्क के लिये ठीक होगा। मैं यह तजवीज करनां चाहता हं कि ट्राइबल लैंड , फॉरेस्ट लैंड उनकी जिन्दगी का हिस्सा है, उस ट्राइबल लैंड ेट्राइब्बल्ज को उजाड़ा जाता है, बाहर के लोग वहां पर कब्जा करते हैं, इससे उनके ग्रन्दर एक ऐसी ग्रनइजी-नेस, ऐसा रेस्टलसनेस माता है कि वहां पर उस तहरीक को कई नाम दिये जाते है। मैं उनका जित्र नहीं करना चाहता हं। मैं तजबीज करना चाहता हं कि ट्राइबल लैंड जो है उनकी जिन्दगी का एक इटेग्राल पार्ट है, ट्राइबल लैंड फारेस्ट लैंड पर जैसे उनके ५हले हकूक थे, वह हकुक उनके रहे। उसके वे इस्तेमाल भी कर सके । कागज पर तो हकुक उनके नाम पर हो सकते हैं लेकिन उस जमीन का इस्तेमल उनके लिए दिन-व दिन मण्किल बनता जा रहा है। मैं तजबीज करना चाहता हूं कि इस बात पर गौर किया जाए। उनका जो रिश्ता फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल लैंड से है, वह उसी तरीके से बना रहे । जैसे वह पहले बेनिफिट लेते रहे हैं, उसी तरह से लेते रहे ।

५ढ़ाई-लिखाई और मड़नं टेक्नीक इन एग्रीकल्पर का ग्रादान-प्रदान इनको कराया ज़िए। इनको जमीन दे कर ट्रेंड किया जाए कि ग्राधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाती है ताकि इनका रोजगार और मामदनी का जरिया बढे। मैं ग्रापको यह यकीन दिलाना चाहता हं कि जब ग्रामदनी के जरिये बढ़ेंगे, पहुाई-लिखाई का इंतजाम होगा तो फिर यह अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे । यह सेल्फ स्टार्ट होंगे । इनको एजुकेशन दी ज ए, स्पेशल स्कूल खोले जाएं लिबरल वजीफे दिये जाएं तथा जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है उनको ग्राधुनिक खेती की शिक्षादी जाए ताकि उनका रहन-सहन वे ग्राफ लाईफ स्टैंडर्ड ग्राफ लिबिंग ऊंचा उठा सके। इसी तरीके से मुल्क का एक बहुत बडा हिस्सा तरक्की करेगा। जब एक मुल्क का बहत बडा हिस्सा तरक्की नहीं कर सकता तो भ्रापका मुल्क भी तरवकी नहीं कर सकता। The country will develop as a whole. अगर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमार है, दूसरा हिस्सा खुशहाल है तो वह तदरुस्त रह नहीं सकता, ऐसा मेरा कहना है। इनकी बस्तियों में कम्यनिकेशन ग्रौर सडरुं भी होनी चाहियें । यहां इनकी बस्तियां बनाई गई हैं, मकान बनाए हैं, वहां कोई माडर्न फेसिलिटीज नहीं सड़कें नहीं हैं। ग्रगर सड़कें बनाई गई हैं तो नाम की हैं, टूट जाती हैं। उसके बाद उनकी हालत को कोई संवारने वाला नहीं है। लैंड ट दी टिलर जो कांग्रेस का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, सीलिंग एक्ट कांग्रेस का कार्डिनल प्रिंसिपल है, इसको पूरा रिव्य किया आए । ऐसे लोग जिनके वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं, वे थह चाहते हैं कि यह लागून हों, गरीबों तक उनका हिस्सा न पहुंचे, वे इस रास्ते में सब से बड़ी रुकावट हैं। हमारी सरकार का यह फर्ज है कि इसके लिए रिट्रंजेंट कानन बनाए । कई धफा लैंड वेच दी जाती है, मकान दे दिये है लेकिन अमीर आदमी इनसे जमीत खरीय लेते है. मकान भी खरीउ लेते हें और गरीब आदमी अपनी किस्मत के मारं उनको बेच देते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते हैं। ऐसा कानून बना दिया जाए कि कोई ग्रादमी उस जमीन ग्रौर मकान कोई नहीं खरीद सके। ग्रगर बेनामी भी खरीदे Theh law should provide that it reunfortunate man. verts back to that उन पिछड़े हुए ग्रादमी को वह जमीन रिवर्ट हो जाए। लॉ में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

375 Government

मौकरियों का सवाल है । कल्याण साहब ने जेसे कहा भौर फिगर्ज दी कि किस तरीके से एडवरटाइजमेंट होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यु हो जाते हैं भौर बार-चार साल तक नतीजे नहीं निकलते धीर किस तरीके से बैंकडोर से लोगों को भर्ती कर दिया जाता है ग्रौर बाहर फट्टा लगा है कि देयर इज़ नो वेकेंसी। मैं यह पूछता हूं कि जिन लोगों ने इम्तहान दिये हैं, इंटरब्यु दिये हैं, चार चार साल तक इंतजार किया है, उन लोगों का रियेक्शन क्या होगा । वह लोग क्या सोचते होंगे? मैं कहना चाहता हं कि यह जो लूट-खसूट के तरीके हैं, पुराने गले-सड़े निजाम का जो हिस्सा है, बहु काट पर फैंक देना चाहिये धौर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सरकार ने कानून बनाया है उसके मुताबिक जिन लोगों के लिए नौकरियां रिजर्व हैं उनको यह मिलनी चाहिये। कानून ऐसा स्टिजेंट बनाना चाहिये जिससे उनको यह हक मिल जाए । सफाई कर्मचारियों की टोकरियां उठवा दी हैं। यह बहुत बड़ा उपकार है। यह बहुत बड़ा काम है। सालों से ये लोग गंदगी ग्रपने सिरों पर उठा कर जिस तरीके से चलते थे यह हमारे समाज के ऊपर मौर हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बदनुमा धब्बा था । एक झादमी ने---बहस कर रहे थे----मुझसे कहा कि कांग्रेस ने इन शिड्युल्ड कास्टस श्रौर गिड्यूल्ड ट्राइब्स का दिमाग बहुत खराब कर दिया है। मैने कहा कि मेरे भाई दो दिन ग्राप गंदगी की टोकरी ग्रपने सिर पर उठाकर मुझे दिखा दें मैं आपकी सब बातों को मान लूंगा । सिर्फ दो दिन उठा लें, ग्रौर इन लोगों की हिम्मत देखिए कि पता नहीं कितने साल गुजर यये, शायद सदियां गुजर गयीं ग्रापकी गंदगी, ग्रापकी टट्टी ग्रिपने सिरों पर उठाते हुए। इनका भी नाक है, इनका भी खून है और उस खून का रंग लाल है, इनका भी हमारे साथ दिल धड़कता है । ग्राप इन लोगों के जज्बात को समझिए । आप क्या बात करते हैं । इन लोगों को थोड़ी-सी फीसिलिटीज देदी है झौंर ये भी आपको

गवारा नहीं है। ऐसे लोगों को सख्ती के साथ इन मुल्क के सियासी नक्शे से दूर कर देना चाहिए और जो लोग इनकी खिदमत करना चाहते हैं, जो लोग इनके म्रहसास को समझते हैं उनको इनकी खिदमत के लिए ऐसा कानून बनाकर इन लोगों को जो दबा हुया हक है उसको देने की कोशिश करनी चाहिए ।

बंधुग्रा सजदूर----उनका भी मैं जिक करना चाहता हूं। जो बेगार ग्राज से 50 साल पहले ली जाती थी, कोई दलील नहीं, कोई ग्रपील महीं, कोई तनख्वाह नहीं कोई इन्साफ नहीं । ग्राप हमारे बंधग्रा मजदूर हैं और आपके बाद आपका बेटा बंधुमा मजदूर है, आपकी बह भी हमारी नौकर है। इस ग्राजादी के बाद ग्राज भी बंधुम्रा मजदूर रहे तो यह हमारे समाज ग्रौर समाज का जो पोलिटिकल निजाम है उसके लिए एक बहुत बड़ी चनौती है। लोग माज एक्शन चाहते हैं, रिपोर्ट नहीं चाहते हैं, वे एक्शन चाहते हैं कि उनको बदली हुई तस्वीर नजर ग्राए । तो वजीर साहब में ग्रापसे दरख्वास्त करना चाहता हं कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जोकानन हमारी ही सरकार ने बनाए हैं, हमारी ही पार्टी ने बनाए हैं उन पर म्रमल हो। उनका विश्वास उनका एतकाद हमारे ऊपर भी ग्रौर हमारे निजाम पर बना रहे। यह मेरी आप से दरख्वास्त है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि श्रापने मुझे बोलने का मौका दिया ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. ν. THANKKA BALU); Madam Vice -Charirman, first and foremost, I express my heartfelt thanks to this august House for taking up for discussion the Reports of the Commission and Commissiner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am personally privileged to have got this opportunity to inform the House on the various developmental measures that our Government has taken up for the welfare and development of the Scheduled Castes and

Scheduled Tribes. This opportunity to speak on behalf of the Government is a great honour, for this paves the way to bring into focus the commitment of the Congress Party and its Government towards the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who, for no fault of theirs, have been suffering from the stigm_a of untounchability and life-in-seculsion for centuries.

Madam, it is a matter of regret that some of our friends from the Opposition did not feel it necessary to take part in this vital discussion relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This attitude of theirs shows the concern—or, if I may say so, the lack of it—they have for the cause of the development of the poorest of the poor.

I am thankful to all the hon. Members who have participated in the discussion. The points raised and the suggestions made by Shri Ajit Jogi—he made an eloquent speech and spoke for more than an hour—Shri Kishore Chandra Deo, Shri Madhavan, Shri Ish Dutt Yadav, Shri Moolchand Meena, Shrimati Urmilaben Patel, Kumari Mayawati, Shri Mohinder Singh Kalyan and Shri Virendra Kataria have enriched this discussion and have made it a fruitful and worthwhile affair.

Apart from the location-specific problems that were raised, the following issues of general nature were also raised by our hon. friends during the course of the discussion. The discussion was basically to inform the House as well as us about:

- the need to abolish immediately untouchability;
- the need to remove the gap between the words and the deeds;
- the need to remove problems caused to the SCs and STs due to the age-old customs and traditions by ensuring proper implementation of the provisions of Constitution and other laws:

- the need to ensure effective action against those who commit atrocities on SCs and STs;
- the need to encourage inter-casts marriages;
- the need to take immediate steps for expeditious, distribution of surplus land and to update the land records;
- the need for expeditious landallotment to the SCs and STs;
- the need to empower the SCs and STs to have a say in the implementation of the schemes intended for their welfare and development;
- -- the need to strengthen the Statelevel Scheduled Caste Development Corporations including the TRIFED and the NSFDC;
- the need to activate promision of the SC and ST in small industries and business as a means of achieving their socio-economic independence;
- the need to improve the literacy levels amongst the SCs and STs to have better educational facilities for the SCs and ST_s and to provide more hostels for the SCs and STs.
- --- the need to protect the opportunities provided to the SCs and STs of reservations in promotions;
- the need to ensure that the carryforward vacancies are retained so that the SC and ST vacancies are not filled by others:
- --- the need to have text-books in tribal dialects/languages;
- -- the need for a separate Commission for the SCs and STs; and
- lastly, the need for continuing the SC/ST concessions to the SC/ST convert_s to Christianity.

Madam, I assure that all the specific problems and issues pointed out by the non. Members will be taken up separately, and we will give necessary, effective consideration in the course of implementation of our schemes for the SCs and STs. Also, we would take up these issues with the respective Departments of our Government and also the State Governments would also be requested to take appropriate and necessary actions on the basis of the valuable suggestions given by the hon. Members.

The other suggestions which are more general and not necessarily locationspecific-1 have mentioned them carlierhave their focus on the socio-economic and educational development of the SCs and STs. This rightly brings the d.scussion under proper perspective viz the basic strategy, he means to be adopted for achieving this strategy, the results desired and achieved and the reasons thereof. The basic strategy for the development of SCs and STs was formed by the Congress Government at the Centre with the aim of hitting at the very factors that had been responsible for keeping them below others in the social, educational and economic spheres. It was decided that simultaneously theepronged measures should be taken, viz. (1) preventive measures by way of administration of PCR and Prevention of Atrocities Act; (2) positive discrimination by providing reservation in Government services and in admission to the educational institutions apart from the provisions for reservation in State Legislatures and the Lok Sabha and the Rajya Sabha; and (3) educational and which economic development measures include the very important aspect of the agrarian relations., viz., the land reforms.

Our Government is determined that atrocities against SCs and STs shall be dealt with firmly. This commitment, as this august House is well aware, is neither new nor opportunist. This commitment has been handed down from one generation to the other in the Congress right from the days of our beloved Father of the Nation. Mahatma Gandhi. This gloriou, neritage and emphatic involvement in the protection of SCs and STs made Smt. Indira Gandhi, our beloved leader, rush to Belchi in the State of Bihar, when the atrocities against the Scheduled castes were on. The similar ethos made Shri Rajiv Gaudhi. our former beloved Prime Minister. rush to Karamehedu near Tirupati. Fm the same tradition our beloved Prime Minister convened the meeting of the Chief Ministers in the year 1991 after he took over power and gave a clear direction to the country saying that the atrocities on SCs and STs should he stopped forthwith. And today, being on the same wave ength, we are marching ahead and taking steps wherever such atrocities take place.

While law and order is a State subject, any report of atrocities on SCs and STs is immediately taken cognisance of by our Government. We have а Control Room and on day-to-day basis we forward these reports to the State Governments and ask the State Governments to take appropriate measures to curb this menace. We also request the State Governments to book culprits and give stringent punishment to those people who are involved in the atrocities. Under the PCR and Prevention of Atrocities Act we provide financial assistance to the State Governments and Union Territory Administrations for legal aid to be provided to the SCs and STs and for running special courts and mobile courts for ensuring quick iustice in cases under PCR and Atrocities Act. Financial grants are also given to the couples who have had inter-casto marriage of whom one of the spouses belongs to the SC|ST family, Madam, you will be glad to know that on an average

SHRI S. MADHAVAN: In my State, we give gold medal. An amount of Rs. 6 crores is granted annually to the States and Union Territories for the imple-

mentation of the PCR and Atrocities Act. Owing to the continuous monitoring in this count, the practice of untouchability is on the wane. The offences under the PCR Act have reduced to about 3,000 cases per year from 3,500 cases earlier. We are trying to reduce them further. The vigil has to be continuous. While the cases under the PCR Act which mainly deals with the crime of untouchability have shown a declining trend today, the cases under the Atrocities Act have been slightly higher, specially in States like Uttar Pradesh. I wish Miss Mayawati was here today. I would seek her help to stop this menace in that State where they are in power today. Similar is the case with Bihar. As against 21,505 cases registered in 1991, there has been an increase slightly to 22,178 cases registered in the vear 1993. Madam, we have impressed upon the State Governments the need to take effective measures against the offenders under this Act.

Madam, a majority of the Members, while speaking, mentioned about the scavenging system. The liberation of scanvengers who have suffered very badly due to the stigma attached to the profession has become the top-most priority of this Government. For the liberation and rehabilitation of scavengers, a special scheme costing Rs. 905 crores was launched in the year 1992 Our hon. Prime Minister, from the Red Fort, announced that menace of scavenging would be abolished before the Eighth Plan period. In this direction, we have sanctioned about Rs. 195.87 crores to the States and the Union Territories, About 6,81,428 scavengers have already been identified for training and rehabilitation. Till date, in about one year's time, we were able to rehabilitate about 43,000 people. The progress in this direction is very encouraging and we have also written to the Chief Ministers to take special ware in this direction so that

within the estimated time, that is, before the Eighth Plan period, we can achieve the target and abolish scavenging. To solve this problem, we should create a greater awareness and create more opportunities. About Rs. 980 crores has been earmarked in the Eighth Plan for this area alone, to convert dry latrines to water-borne latrines so that scavengers may be relieved from the scenario and may be given alternative employment under the training and rehabilitation programmes. The hon, Prime Minister announced on 15.8.1993 that a Safai Karamchari Commission would be constituted. I am happy to inform you that within a month's time, the Safai Karamrhari Commission would be announced and this commission will be watching and monitoring the progress very important schemes. of the Madam, the Government's determination to ensure protective measures to SCs and STs is borne out by the sincerity and dedication as is evident from the few instances stated above. Our economic commitment towards their and educational development bears the same mark of determination and ideology that has been put into implementation in the most pragmatic and result oriented ways.

Madam, the Special Component Plan, the Tribal Sub-Plan, the special assistance provided to the SCP and the TSP, the creation of the State Scheand Scheduled Tribes duled Castes Development Corporations, the National SCs and STs Finance and Development Corporation and the TRIFED, have already been created with the aim to expedite the economic development of the SCs and STs in the country. Since the Sixth Plan period, about Rs. 27,127 crores have been provided to the SCP. Of the total Eighth Five Year Plan outlay of Rs. 1,83,867 crores, provision for the SCP is of the order of Rs. 36,799 crores. Similarly, Madam, Rs. 21,952 crores have been earmarked up to the year 1993-94 for the TSP. Till date, our Government have granted to

.

the States and Union Territories Rs. 2,480 crores as SCA to the SCP and Rs. 2,676 crores as SCA to the TSP. Madam, the SCDCs have continued to receive allocation from our Government towards the Centre's share capital. Since the inception of this scheme, a total quantum of Rs. 253.73 crores have been allocated to the State Corporations and 78.72 lakhs SCs and STs families have been benefited by the SCDO₈ in collaboration with the financial institutions. Madam, since its inception in February 1989, the National SC and ST Finance and Development Corporation, completely owned by the Government of India, has sanctioned 547 schemes, at a total cost of Rs. 446.26 crores, benefiting 1,74,742 people so far. Likewise, the TRIFED was set up by the Government of India in August 1987, with an authorised share capital of Rs. 20 crores which has now been increased to the level of Rs. 100 crores in the year 1992-93. Madam, the main aim and objective of the TRIFED is to market the tribal produce minor forest produce and to eliminate the private traders and middlemen from the scene so that the tribal population in the country is benefited by way of support price for their produce. The turnover in respect of the TRIFED which was Rs. 22 crores during 1988-89, went up to Rs. 86 crores in the year 1992-93 and this is Rs. 106.75 crores in the year 1993-94. The target of the current financial year would be Rs. 204 crores. This Corporation is doing very well and the SC and ST people are getting the due benefits and thereby the middlemen and the power brokers cannot be allowed to cheat the SC and ST people. The hon, Members are aware of the special thrust given to rural development by this Government under the dynamic leadership of our Prime Minister, Shri Narasimha Raoji. It is due to the personal attention of our hon, Prime Minister that the approved outlay for rural development which was Rs. 3,100 crores in the vear 1992-93 rose to Rs. 7,010 crores in the year 1994-95. The total rural development aims at ensuring fulfilment of basic minimum needs of all the peo-

ple, especially the socially disadvantaged sections, the poor and the downtrodden. the women and the SCs STs. Madam. our Government has earmarked Rs. 30,000 crores for the welfare of the weaker sections in the rural development area in the Eighth Plan period. Particularly under the IRDP. between 1985-86 and 1993-94, out of 281.76 lakh families assisted, 74.37 lakhs were SC families, 3914 lakhs were ST families Similarly, in the Indira Awas Yojana, between 1985-86 and 1993-94 an amount of Rs. 1.957.67 crores has been spent to construct 16,45,952 houses which mostly handed over to SC|ST families in the country, Under the Millions Well Scheme, Madam, which was started exclusively for SCs, between 1988-89 and 1993-94, till June, 6,97,819 wells at a cost of Rs. 2,189.17 crores have been constructed

Madam Vice-Chairman, it is an accepted fact that in the historic and unfortunate process of sub-jugation of SCs, one of the main areas was agriculture. Therefore, their liberation should also start mainly from the field of agriculture and related areas. Many hon. Members were speaking about the land reforms and they had suggested that the benefits should go to the weaker sections. I do agree with them. It is due to this realisation that out of 48.87 lakh beneficiaries who have been distributed the surplus land of 50.58 lakh acres in the country, till date, 36 per cent were chosen from among SCs and 14 per cent from among STs.

Moreover, to give security of tenure to tenants and share croppers, most of whom are SCs and STs, it is an accepted fact that the land records should be correct and up-to-date. Madam, to assist States in this great task, the Congress Government had started a Centrally sponsored scheme of strengthening of revenue administration and updating of records in 1987-88. Under this scheme, till date, Rs. 7984 crores has been allocated to 30 States|Union Territories. Further, an additional amount of Rs 13.78 crores has been

Some of the hon. Members while participating in this discussion had stressed the need for empowerment of SCs|STs_ I fully share their opinion. Madam, it is my proud privilege to remind this House of the Herculean efforts made by our beloved leader, Rajiv Gandhi,....to meet each and every District Collector of this nation through five workshops to have a detailed discussion on the problems that confront the rural poor, particularly, the SCs and STs. The deliberations in those workshops culminated in bringing a Bill for the introduction of the Panchayati Raj System. Due to lack of co-operation from a few sections of the Opposition parties the Bill could not be passed then, But under the sagacious leadership of our Prime Minister, Narasimha Raoji, our Government passed the Constitution (Seventry-third Amendment) Bill, 1992, which has provided for proportionate representation to the SCs and the STs and women have got 33.3 per cent reservation in all local bodies. A decisive step towards the empowernent of the poor for the governance of their own affairs has been taken by this historic Act. Today we have stared seeing the fruits of this Act. This s one example of the continued comnitment of the Congress and its Government to the welfare and the deveopment of all weaker sections including he SCs and the STs.

Madam, the House is aware that the 0-Point Programme was formulated y our beloved leader. Shrimati Indira Bandhi, and it was revised and refornulated by our beloved former Primer Ainister, Shri Rajiv Gandhi, when hey were in power as Prime Minister. While changes have taken place in ertain areas between the first 20-Point

Programme and the second 20-Point Programme in so far as they relate to the welfare and the development of SCs and STs, there has been no change in the stand but only further intensification of the commitment to the cause. Close monitoling of the programmes related to the economic development of the SCs and the STs has been the hallmark of the 20-Point Programme, The hon. Members mentioned about the 20-Point Programme. It is being implemented. It is due to various mea. sures which have been continuously formulated and implemented by our party, our Government, of which a few have been stated by me that from the Sixth Five Year Plan period till date, we have been able to provide assistance to about 3.11 crores of SC families and 1.40 crores of ST families for their socio-economic development so that they could cross the proverty line. This is very important that those who are below the poverty line should be uplifted. Under this 20-Point Programme WE can achieve this result and it is a continuous programme which is going on. The Government will not rest till the SCs and the STs live on par with the other sections of the society in terms of equality, social and economic opportunities and economic standards. This is our commitment to the nation, Protective measures such as PCR and Prevention of Atrocities Act are deterrents to the vested interests. Economic development programmes provide an opportunity to the SCs and the STs tο gain economic clour and a relative sense of security and ability to withstand the evil designs of vested interests. But more important of all this is removal of illiteracy and imparting education upto the highest levels of learning so that awareness of their rights and the ability to organise themselves for protection of their rights by such means as getting into Government services, etc., are created amongst the weaker sections. Madam. the educational development of the Scheduled Castes and the

387 Government

Scheduled Tribes has been the prime concern of the Government from the very beginning. To quote a few instances, the scheme of post-matric scholarships benefited 114 Scheduled Caste students in 1945. By 1960-61 this figure rose to 48,848 covering both the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students. Since then there has been a steady increase due to the earnest efforts of the Government. In 1993-94, we covered 15,91,713 Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. We expect to assist over 17 lakh students in 1994-95. This is our target, I share the concern of the hon. Members that the rates of scholarship under this scheme need revision. We are actively pursuing with the Planning Commission for revision of rates of scholarships under this scheme. We know that the prices are increasing. We know about the difficulties which the Scheduled Caste students are facing. We are seriously pursuing it with the Planning Commission. We hope that we will quickly get the results.

In order that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe students coming from rural areas are assured of facilities for education, till date we have assisted the States and NGO₃ for construction and maintenance of 15,532 hostels throughout the country.

Under the scheme of book banks, one set of books for every two students belonging to SC and ST is given 10 facilitate them to pursue professional courses, I am glad to inform the House that this scheme, which originally provided for the book bank facilities only to medical and engineering courses, has added agriculture and veterinary courses also from 1991-92. The response from the States has been very encouraging due to which, against Rs. 67.32 lakhs released under this scheme in 1992-93, we made an allocation of Rs. 5.60 crores in 1993-94 and Rs. 7.50 crores in the current year.

Apart from ensuring scholarship for SC and ST students at pre-matric and post-matric levels, we also have а scheme of national overseas scholarships and passage grants for SC and ST students for their higher studies abroad. The Congress Government in the Centre started the scheme in 1954-55. So far, 677 scholars have been selected for awards, Thirty awards are being given during every selection year. Under this scheme we encourage students to take a variety of courses in foreign universities such as printing technology, naval architecture, automation and robotics. reliability engineering, laser technology and paper technology and post-graduate studies leading to Ph.D and post-doctoral research/specialised training.

Hon. Members were kind enough to speak about Dr. Ambedkar Centenary Celebrations. They wanted that the scheme should be implemented as early as possible. Under the auspices of Dr. Ambedkar Centenary Celebrations Committee, among many schemes started to commemorate the memory of Dr. Ambedkar, the champion of all the underprivileged of this country, Dr. Baba Saheb Overseas Fellowship has been initiated by our Government. Under this fellowships in economics, sociology, international relations and Constitutional law are sanctioned every year. So far, eight Fellowships, that is, four each for 1992 and 1993, have already been sanctioned and advertisement for the Fellowship for 1994 has also been given to the press for inviting applications, A corpus fund of Rs. 2 crores has been provided for this scheme of Dr. Baba Saheb Overseas Fellowship.

Madam, as this House i_s aware, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the architect, among the founding-fathers of the Indian Constitution, has rendered Yeoman service in awakening the oppressed people to fight for their legitimate rights. His writing that need to be given the

widest publicity by any Government or any nation, for that matter, which is interested in the development and welfare of the disadvantaged sections of their population. I am glad to inform this august House that we have taken up the project of translation and publication of Dr Ambedkar's writings and speeches. A sum of Rs. 3.48 crores has already. been released to Dr Ambedkar Foundation for this work. The translation and publication of Baba Saheb's works and speeches in Hindi and other regional languages is in full swing We have already brought out five volumes, both in Hindi and Tamil, five volumes in Gujarati and one volume in Punjabi. Some more volumes in Bengali and a few other languages are in print, Madam, in the last Session, I assured the Members of this august House that the writings and speeches of Dr. Baba Saheb Ambedkar would be translated and published in all the Indian Janguages. Our Government is doing its best to see to it that these publications are done well in time.

Government believes Madam, this that the fittest tribute to Dr. Baba Saheb is to pave the way for evolution of a society of a new order based on the principles of social justice. Dr Baba Saheb's life has been a beacon-light to all those who aspire for emergence of an equitable society in this country. Therefore, this Government has given full support to the project for production of a full-length feature film on the life of Dr Ambedkar. We have released an amount of Rs. 4 crores to the National Film Development Corporation-for his purpose. Due to the need to accommodate various view points including hose of Dr. Smt. Savita Ambedkar the production of the film had to be delayed for some time. At the instance of Dr. Savita Ambedkar, we have engaged Shri Shyam Benegal as the Chief Consulant of the film. The script of the film is almost ready and necessary arrangements are being made for commissioning the shooting of the film at the earliest,

Madam, this House is aware that we have provided eight Ambedkar Chairs in various Universities. In yet another befitting tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Government has constituted Dr Ambedkar National Award carrying a prize value of Rs. 10 lakhs which will be finalised by a high-level Jury headed by the Vice-President of India. The Jury has already finalised its recommendations for the 1993 award while the award for 1994 is likely to be finalised shortly. Madam, the Government has also sanctioned a project for setting up Dr. Ambedkar National Public Library in New Delhi The site has already been allotted for construction of the Library building. The work is in progress.

I have so far dwelt at length with a few programmes related to Dr. Baba Saheb Ambedkar Centenary celebrätions. This is because any number of measures taken for the development of SCs/STs by any Government in India would be incomplete without reference to the seminal and grand work done by Dr. Baba Saheb Ambedkar for the welfare of these people.

I am glad to recall the memory of the hon. Members who are present to the fact that it was during our governance that Rs. 10 crores were sanctioned in July, 1991 by our beloved Prime Minidter for celebrating the centenary year. of Dr. Ambedkar and for undertaking some of the special schemes which I have mentioned earlier as a befitting tribute to the memory of Dr. Ambedkar. This is my proud privilege to salute the memory of this great son of our nation and to inform this august House that as envisaged by Dr. Ambedkar, this Government continues to ensure adequate reservation in schools, colleges and professional courses for SC/ST students in our country

Madam, some of the Members who spoke on the Motion have expressed concern that the reservation in jobs provided for SCs/STs should continue to be protected. You are aware of the special recruitment drives undertaken by our Government to fill up the backlog vacancies for SCs/STs since 1989. Four such special' recruitment drives have been undertaken so far and the results have been very encouraging and are evident from the following figures.

In the first special recruitment drive in the year 1989, the reserved backlog vacancies were 58,554 out of which 50,475 appointments were made, In the second special recruitment drive in 1991, about 46,000 vacancies were the backlog vacancies and 29,414 appointments were made In the third special recruitment drive, 35,000 backlog vacancies were identified and 18,000 appointments were made in the recent fourth special re. cruitment drive, 30,259 backlog vacancies were identified and till June, 1994, 12.346 posts were offered for the SC/ ST members. This is a *continuous* process and we are pursuing with the State Governments and other Departments in the Central Government. We will go on doing this to ensure that there is no backlog and no reserved vacancy remains unfilled

Madam, Shri Madhavan and Shri Jogi have requested for protection of promotoinal avenues to the SCs/STs and to ensure that the carry-forward vacancies meant for the SCs/STs are retained without any difficulty. In addition to this concern for the SCs/STs, Shri Madhavan has also expressed the opinion that the Congress Party does not grow from strength to strength in Tamil Nadu owing perhaps to the absence of a clearcut pronouncement of its support to the weaker sections. I am thankful to Shri Madhavan for the kind sentiments he But I has expressed about our Party would like to say that the Congress Pary has always been with the weaker sections and the downtrodden sections of the society, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We never changed our ideology or our policy towards the poor. Whether we are in power or not. we are always with the poor. This is our policy. Madam. That is why the weaker sections of the country have always remained with the Congress Party and its leaders, from Mahatma Gandhiji to our beloved Prime Minister, Shri Narasimha Rao.

Madam, Mr. Madhavan mentioned that some practical difficulties arose out of the Manda case judgement. Mr. Jogi and other Members informed about some difficulties with regard to reservation and promotion and also about the carry-forward problem, Madam we are very much aware of this problem and we are trying our level best to see to it that this problem is sorted out muckly. Mr. Madhavan informed the House--and he was also very happyabout the Tamil Nadu Govt,'s Bill providing for 69 per cent reservation having been recommended by our beloved Prime Minister and our Government. I would inform the hon. Member 20 well as other Members that this itself shows our Prime Minister's commitment to the weaker sections, particularly the SCs and STs. We will do our best to see to it that this problem does not exist in the future. Madam, I would not go beyond this since the matter is - 31ready under the purview of the highest court of the land. So, the problems of the weaker sections, particularly the SCs, the STs and the OBCs, will he taken care of by our Government and there should not be any fear in this regard since already in this august House and in the other House my senior col-Shri Kesri, as well as myself league have committed that all possible avenues would be examined and a solution can be found to overcome these dificulties.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nada): Sir, the Karnataka Order has already been stayed... (Interruption)...

In the next week, it is coming up.

1

,

SHRI K. V. THANGKA BALU: Yes, that is why I mentioned that our commitment is very clear. The recommendation by our Government to the hon. President for giving his assent to this Bill shows that our commitment to these sections is very clear. So, we will try to protect the interests of the SCs, STs and the weaker sections at any cost. We will do sour best. Since the matter is already in the court, I do not want to go any further. But, our commitment remains and we will see to it that in all respects the commitment is honoured.

Madam, Mr. V. Kishore Chandra S. Deo and other Members also very pertinently demanded that there should be separate commissions for the SCs and the STs. It is a very good idea. We already have а Commission for the SCs and the ST₅ national at the levei st of also the cornorations at the state level to protect the interests of the SCs and the STs. Now. they are demanding a separate commission and separate corporations for the welfare and development of the STs too, But, the SC and ST Commission at the national level the TRIFED and all these institutions are taking care of the welfare of the SCs and the STs at present. if and when the need arises, we will do our best with regard to such a scheme. We will come back to this House, if the House an-Jf proves this kind. of a proposal. will that need arises certainly we consider those. Madam, I do not want to take much time of the House and I want to see that the SC/ST community at no stage gets into any problem. and With regard to backlog vacancies with regard to the scavenging problem, I have already written to the Chief Minister of the various States requesting them to take appropriate measures to see that these problems are sorted out quickly and the SC/ST community in the country gets the due share and right by way of our prompt and excellent actions.

Madam. Ajit Jogi and Shri Shri Madhayan are taking very much interest in these areas which speaking the other day on Shri Narayanasamy's Bill as well as today, and yesterday they were also speaking and they were demanding that the convert Christians be given the status of SC. Madam, I have informed the august House in the last session that we have received a number of petitions and applications, over 10,000 applications, and we are conscious of the fact that we should do justice to that community. So. we consciously appointed a Committee under the Chairmanship of the secretary (Welfare and five other Members, who are going into this problem and once the Committee gives its finding and its report, certainly we will come back to this House for a remedial mea-Since the Committee is working sure. on, I do not want to elaborate much, Certainly we will come back to this august House and take your valuable support to redeem that section. But the fact remains that already the SC converts are not deprived are not on the roads, on the streets, but they are already included in the OBC list where they are getting their due recognition and support from OBC level.

SHRI S. MADHAVAN: At the State level.

SHRI K. V. THANGKA BALU: Step by step we will give. They are nor left over.

395 Government

Medam, the information is shared with this House, the achievements made by our Government and our commitment to the SC/ST is second to none and we continue to do our best to see that the SC/ST section, the majority people, particularly the weaker sections will certainly get their due share and we will do all our best to see that our brothers and sisters from the SC/ST section get their rightful share and play their role in the socio-economic system of our country, and the real social justice is given to them in the coming days, as we are giving now.

The hon'ble Members insisted on certain matters relating to their own States and constituencies. They will be taken care of and I will come back to them and report to them what action has been taken by us. With this, Madam, I thank all the hon'ble Members and particularly you. Thank you very much.

SHRI S. MADHAVAN The hon'ble Minister has threatened us with the voluminous particulars. I hope that he is executing those. Only one point. After 46 years of Independence, the Congress Government is repeating that we are not able to fill at least 16 per cent. Still 4 per cent, everybody tells. Have we made any study to find out the reasons or appoint a Committee at least in the future? Have you got a target to see that within one year, two years, you will come to this percentage?

SHRI K. V. THANGKA BALU: Madam, I have explained that when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister, she started this. After-

[RAJYA SABHA]

Motion 396

wards, Shri Rajiv Gandhi, and now our beloved Prime Minister have taken up seriously this matter. And we have conducted four special recruitment drives. While giving the figures and identifying the number of posts and vacancies, we said that this is a continuous process, and in every special drive, we see a remarkable improvement. And, Madam this will go a long way beby side educational cause, side avenues and educational opportunities are also given to them. And we have created a number of avenues for the betterment of their education. Once education is given and the people are ready to take-over, certainly their problems will be solved. I assure the House that this is an ongoing programme, and we will see that in the quickest possible time. sisters from the our brothers and the SC and ST community will get their full share and 22¹/₂ per cent reservation fulfilled.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you, very much, Mr. Minister.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Madam, one important point which I had mentioned and many other speakers had mentioned has not been answered. Although he has touched upon all other points, that aspect has been left unanswered.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA-ROJ KHAPARDE): You came late to the House....

397 Pre Natal Diagnostic Techniques

[4 AUG. 1994]

SHRI AJIT P. K. JOGI: I was listening to him in the Chamber. He has not touched upon the question of the Fifth Schedule and the Sixth Schedule in relation to the tribals. I had mentioned, Mr. Kishore Deo mentioned, and many other speakers also mentioned that the administration of the tribal areas through the Fifth Schedule has proved to be a total failure and totally ineffective. So, we requested you to change it to the Sixth Schedule. All the areas of the Fifth Schedule which are mostly in the mainland, in Madhya Pradesh. Orissa, Bihar, Maharashtra, and Andhra Pradesh should be converted to the Sixth Schedule. On this, the Minister has not expressed any opinion. I would request that he should say something on this.

SHRI K. V. THANGKA BALU: Madam, we all know about this problem. The hon. Member himself and many other Members also spoke to me. We are taking all this into account to see that a proper solution is found out quickly.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA-ROJ KHAPARDE): The hon. Minister told me yesterday and this morning also that he would hardly take half an hour to reply. But he has taken nearly one hour and he has covered all the points. And I am sure that all the Members who have participated in this are satisfied with the reply of the Minister.

Now, we will take up the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Bill, 1994. Shri Paban Singh Ghatowar.

[4] (Regulation & Prevention 398 of Misuse) Bill, 1994

THE PRE-NATAL DIANOSTIC TECH-NIQUES (REGULATION AND PRE-VENTION OF MISUSE) BILL 1994.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SURI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, I beg to move;

"That the Bill to provide for the regulation of the use of pre-natal diagnostic techniques for the purpose of defecting genetic or metabolic disorders or whromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex-linked disorders and for the prevention of the misuse of such techniques for the purpose of pre-natal sex determination leading to female foeticide and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok sabha, be taken into consideration."

Madam, a Bill to prevent misuse of diagnostic techniques for determination of the sex of the foetus, leading to female foeticide, the Pre-Natal Ditgnostic Techniques (Regulation and Prevention of Mususe) Bill, was introduced in the Lok Sabha on 12th September, 1991. It was passed by the Lok Sabha on the 26th July, 1994.

Madam, recently-developed scientific techniques enable pre-natal determination of the sex of the foetus. These techniques, useful in detrmining genetic disorders and abnormalities of the foetus, are also misused. From time to time, women's organisations, sociologists and prominent members of the public have been urging the Governmnet to take steps to curb this abuse. A conference of medical experts, administrators, voluntary organisations and legal experts in